

कार्यालय नगरपालिका परिषद, हाटा (कुशीनगर)

पत्रांक

/ न0पा0प0हाटा / 2018-19

दिनांक

17 दिसम्बर 2018

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शीत लहर को दृष्टिगत रखते हुये सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने हेतु राज्य वित्त/निकाय निधि की धनराशि से सूखी मोटी लकड़ी या गांठ क्रय किया जाना है। इससे सम्बंधित इच्छुक व्यक्ति/फर्म लिखित रूप (दर प्रति कुन्तल) में कोटेशन दिनांक 26.12.2018 को समय 1 बजे दिन तक नगरपालिका परिषद कार्यालय, कुशीनगर पर दे सकते है। जो उसी दिन सांयकाल 2 बजे दिन में उपस्थित कोटेशनदातोओं या उनके प्रतिनिधी के समक्ष खोला जाएगा। बाद में प्राप्त कोटेशनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये किसी भी कोटेशन को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा। कोटेशन के साथ 25,000 (दस हजार) रूपए का एफ0डी0आर0, बैंक ड्राफ्ट या एम0ए0सी0-5 पर नकद कैश अधिशासी अधिकारी के नाम उनके पक्ष में जमा करना होगा। इससे सम्बंधित जानकारी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांयकाल 5 बजे तक निकाय कार्यालय में प्राप्त की जा सकती है।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, हाटा (कुशीनगर)

अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद, हाटा
(कुशीनगर)

संख्या 824(2) / दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित :-

1. प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, कुशीनगर।
2. उपजिलाधिकारी, हाटा।
3. प्रभारी अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, कुशीनगर।
4. सम्पादक/प्रतिनिधि समाचार पत्र "आज एवं हिन्दुस्तान" को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति के आलेख का प्रकाशन कुशीनगर अंक में कराकर सम्बंधित समाचार पत्र की अतिरिक्त प्रति सहित बिल प्रस्तुत करें ताकि उक्त बिल का भुगतान किया जा सके।
5. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चश्पा हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद हाटा
(कुशीनगर)

कार्यालय नगरपालिका परिषद, हाटा (कुशीनगर)

पत्रांक

/न0पा0प0हाटा/2018-19

दिनांक

17 दिसम्बर 2018

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शीत लहर को दृष्टिगत रखते हुये शासन की मंशा अनुरूप निकाय क्षेत्र में गरीब व असहाय व्यक्तियों में वितरण हेतु राज्य वित्त/निकाय निधि की धनराशि से कम्बल क्रय जाना है। इससे सम्बंधित इच्छुक व्यक्ति/फर्म लिखित रूप (दर प्रति अदद) में कोटेशन दिनांक-27.12.2018 को समय 1 बजे दिन तक नगरपालिका परिषद कार्यालय, हाटा पर दे सकते है। जो उसी दिन सांयकाल 2 बजे दिन में उपस्थित कोटेशनदातोओं या उनके प्रतिनिधी के समक्ष खोला जाएगा। बाद में प्राप्त कोटेशनों पर कोई विचार नही किया जाएगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये किसी भी कोटेशन को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा। कोटेशन के साथ 10,000 (दस हजार) रूपए का एफ0डी0आर0, बैंक ड्राफ्ट या एम0ए0सी0-5 पर नकद कैश अधिशासी अधिकारी के नाम उनके पक्ष में जमा करना होगा। इससे सम्बंधित जानकारी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांयकाल 5 बजे तक निकाय कार्यालय में प्राप्त की जा सकती है।

अधिशासी अधिकारी

नगरपालिका परिषद, हाटा (कुशीनगर)


अध्यक्ष

नगरपालिका परिषद, हाटा
(कुशीनगर)

संख्या 823 (2) / दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित :-

1. प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, कुशीनगर।
2. उपजिलाधिकारी, हाटा।
3. प्रभारी अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, कुशीनगर।
4. सम्पादक/प्रतिनिधि समाचार पत्र "स्वतंत्र भारत एवं स्वतंत्र जनमित्र" को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति के आलेख का प्रकाशन कुशीनगर अंक में कराकर सम्बंधित समाचार पत्र की अतिरिक्त प्रति सहित बिल प्रस्तुत करें ताकि उक्त बिल का भुगतान किया जा सके।
5. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चश्पा हेतु।


अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद हाटा
(कुशीनगर)